भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3532

(10 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कोरोना महामारी के कारण बीपीएल लोगों की संख्या में वृद्धि

3532. श्री पी. सी. मोहन:

श्री लल्लू सिंह:

श्री अरूण कुमार सागर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बी. पी. एल. सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन सरकार के पास लम्बित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह
(ख) क्या देश में कोरोना महामारी के दौरान गत दो वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई ह
(ग) यदि हां, तो देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, विशेषरूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, कर्नाटक सहित राज्य-वार और जिला-वार संख्या क्या ह
(घ) क्या सरकार के पास इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई योजना ह यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह
(ड़) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में विशेषरूप से, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के उत्थान के लिए कोई लक्ष्य तय किया ह/तय करने का प्रस्ताव हऔर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हऔर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) वर्ष-वार उत्थान के लिए लक्षित गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्या हतथा तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या ह?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, नहीं। पूर्ववर्ती गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सर्वेक्षणों के स्थान पर सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 का उपयोग किए जाने के बाद ग्रामीण परिवारों को (i) स्वतः बहिर्वेशित (ii) स्वतः सम्मिलित और (iii) अपवंचित के रूप में वर्गीकृत किया गया ह

(ख) और (ग): पूर्ववर्ती योजना आयोग ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू

उपभोक्ता व्यय पर किए गए पंचवर्षीय विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या (कर्नाटक सहित भारत और राज्य दोनों के लिए) का अनुमान किया था। अद्यतन उपलब्ध गरीबी अनुमान वर्ष 2011-12 के लिए है।

(घ): सरकार ने महामारी के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत गरीबों की सहायता के लिए राहत पैकेजों सहित कई कदम उठाएं हैं। इस पैकेज के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2814.50 करोड़ रुपए की राशि 2.8 करोड़ मौजूदा वृद्धों, विधवाओं और विकलांग लाभार्थियों को 500 रुपए की दो किस्तों में 1000 रुपए की अनुदान राशि के रुप में दी गई थी तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के सभी 20.40 करोड़ महिला खाताधारकों को 500 रु. की प्रत्येक किस्त में 1,500 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया जोकि 30,944.9 करोड़ रु बैठता है। इसके अलावा, अप्रैल-नवंबर, 2020 के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) [अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक परिवारों (पीएचएच)] के अंतर्गत मुफ्त राशन वितरित किया गया था और उक्त लाभ को मई-नवंबर, 2021 की अवधि में भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, रोजगार सृजन, आजीविका अवसरों में वृद्धि, स्व-रोजगार संवर्धन, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान कर, सामाजिक सहायता और ग्रामीण अवसंरचना के विकास के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ङ.) और (च): एसईसीसी-2011 में वंचित के रूप में वर्गीकृत 8.73 करोड़ परिवारों को बेघरों को घर उपलब्ध कराने के लिए पीएमएवाई-जी, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को एकत्रित करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए डीडीयू-जीकेवाई, गरीब लोगों को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के लिए श्रम बजट तैयार करने हेतु मनरेगा, स्वास्थ्य बीमा कवर के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और बिजलीरहित घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य (पीएमएसबीवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।